निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 01/22 दावा
दायरा दिनांकः—05.12.2022
निर्णय दिनांकः— 13.5.24

उनवान

1. पप्पु आयु 45 साल पुत्र रामकिशन पेशा कृषि कार्य जाति मीणा निवासी ग्राम बडोदिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामबाबू उम्र 55 साल
2. दीपक उम्र 35 साल
   पुत्रगण सत्यनारायण पेश काश्तकारी जातियान मीणा निवासीगण ग्राम बडोदिया निवासीगण ग्राम बडोदिया तहसील छबडा जिला बारां राज0
1. सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम चांचोडा प0स0 छबडा तहसील छबडा जिला बारां।
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां राज0

.............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा अपील इन्तकाल 568 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 13-5-24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री रामनिवास वैष्णव — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा अपील इन्तकाल संख्या 568 अन्तर्गत आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि अपीलान्ट व रेस्पो0 के शामलाती खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता सं0 नया 109 पुराना 107 में अंकित खसरा नम्बर 314 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा वाके माल देहरी तहसील छबडा जिला बारां राज0 में स्थित है उक्त वर्णित आराजी में अपीलान्ट का हिस्सा 2/3 का दर्ज राजस्व रेकार्ड है जिस पर अपीलान्ट का शांतिपूर्वक तरीके से कबजा काश्त है। उक्त वर्णित आराजीयात को अपीलान्ट के द्वारा अपने पिता रामकिशन पुत्र प्रभु मीणा निवासी ग्राम बडोदिया तहसील छबडा से जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से दिनांक 23.10.2018 को प्राप्त हुयी है जिस पर वादी हिस्से 2/3 पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.10.2018 को दान पत्र के माध्यम से रेस्पो0क0 1 व 2 को हिस्सा [illegible] में से हिस्सा 2/12 दिया है तथा हिस्सा 1/2 में से 1/6 खातेदार मिश्रीलाल को दिया गया है तथा शेष भूमि का चूकता हिस्सा अपीलान्ट को दिया गया है जिसका इन्तकाल सं0 568 दिनांक 20.11.2018 रेस्पो0 क्रमांक 3 अपीलान्ट का हिस्सा 2/3 है जो 1/6 [illegible] गया एवं रेस्पो0 का हिस्सा 1/6 दर्ज किया जो रेस्पो0 क्रम 3 एवं पटवारी हल्का कानूगो के द्वारा तस्दीक किया गया है जो अवेध अमान्य व प्रभावशून्य घोषित किया जाने योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

है जो मुताबिक दान पत्र को देखे एवं बगेर पढे ही राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत कर तस्दीक किया गया। उक्त दान पत्र दिनांक 23.10.2018 में खसरा नम्बर 314 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा वाके माल देहरी तहसील छबडा में अपीलान्ट के पिता रामकिशन के द्वारा शेष भूमि में से शेष चूकते हिस्से 2/3 को अपीलान्ट कोदान दिया गया है। दान पत्र में पेज नं0 2 की पंक्ति सं0 11 में हिस्सा 2/3 के स्थान पर काटकर 1/6 दर्ज किया जिसका नोट भी दान पत्र में नही डाला गया है ना ही अपीलान्ट कके हस्ताक्षर या नि0औ0 करवाये है इस प्रकार से गलत इन्तकाल खोला जो काबिल निरस्तनीय है।

ऐनकेन प्रकरेण उक्त भूमि में अपीलान्ट के हिस्से पर अनाधिकृत रूप से रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 व 2 कब्जा कर वादी को उसके हिस्से 2/3 से बेदखल करने पर आमादा है। जिसका रेस्पोडेन्ट को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इन्तकाल सं0 568 दिनांक 20.11.2018 को निरस्त नही किया गया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ से सम्भव नही हो सकेगी एवं अपीलान्ट को अनेकानेक वाद विवादो में उलझाना पडेगा। उक्त वर्णित आराजी के गलत इन्तकाल की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 23.08.2022 को नकल प्राप्त होने पर हुई तब मजबुरन उक्त गलत खोले गये इन्तकाल सं0 568 दिनांक 20.11.2018 की निरस्तीकरण की अपील माननीय न्यायालय में रेस्पो0 क्रमांक 1–2 विरूद्ध प्रस्तुत करनी पडी इसलिए प्रस्तुत अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया रेस्पो0 की ओर से भी दिनेश कुमार चौरसिया एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तरण सं0 568 ग्राम देहरी फोटो प्रति रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 20.10.2018 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा लिखित बहस पेश की गई अपीलान्ट ने लिखित अहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार सें है कि अपीलान्ट एवं रेस्पो0 के शामलाती खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या नया 109 पुराना 107 में अंकित खसरा संख्या 314 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा वाके माल देहरी तहसील छबडा जिला बारां राज0 में स्थित है उक्त आराजी में अपीलान्ट का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित आराजीयात को अपीलान्ट द्वसास दिनांक 23.10.2018 को रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से रेस्पो0 क्रमांक 1 व 2 का हिस्सा 1/2 में से 2/12 दिया है तथा हिस्सा 1/2 में से 1/6 खातेदार मिश्रीलाल को दिया था शेष भूमि का चूकता हिस्सा अपीलान्ट को दिया गया है। जिसका इन्तकाल संख्या 568 दिनांक 20.11.2018 रेस्पो0 क्रमांक 3 अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट का हिस्सा 2/3 है जो 1/6 खोला गया एवं रेस्पोडेन्टस का हिस्सा 1/6 दर्ज किया है जो रेस्पो0 क्रमांक 3 एवं हल्का पटवारी एवं कानूनगो साहब द्वारा तस्दीक किया जो अवैध अमान्य एवं प्रभावशून्य है। दान पत्र 23.10.2018 में खसरा नम्बर 314 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा वाके माल देहरी तहसील छबडा में अपीलान्ट के पिता रामकिशन द्वारा शेष चूकते हिस्से 2/3 दान दिया गया है जब कि दान पत्र में पेज नं0 2 पंक्ति सं0 11 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

हिस्सा 2/3 के स्थान पर काटकर 1/6 दर्ज किया जिसका नोट दान पत्र में नही डाला गया ना ही दानदाता रामकिशन के कटिंग पर हस्ताक्षर या नि0अ0 करवाये है इस प्रकार जो गलत इन्तकाल खोला गया है जो इन्तकाल सं0 568 दिनांक 20.11.2018 काबिले निस्तरनीय है। रेस्पो0 क्रमांक 3 एवं हल्का पटवारी व कानूगो जी द्वारा खोला गया उक्त गलत तस्दीक किया गया है जो अवैध अमान्य एवं प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है जो मुताबिक दान पत्र गफलत एवं लापरवाही पूर्ण तरीके से खोला गया है। लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि इन्तकाल सं0 568 दिनांक 20.11.2018 जो रेस्पो0 क्रमांक 3 द्वारा वाके माल देहरी तहसील छबडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 314 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा में हिस्सा रेस्पो0 क्रमांक 1 व 2 के पक्ष में 1/6 तस्दीक किया गया है उसे निरस्त किया जाकर उक्त इन्तकाल पुनः दान पत्र के माध्यम से मुताबिक दान पत्र हिस्सा 1/2 मे से 2/12 दर्ज किया जावे एवं शेष चूकता हिस्सा अपीलान्ट के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज किया जावे।

रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा यह बताने की कोशिश की है कि उसके पिता रामकिशन द्वारा उसके पक्ष में जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 20.10.218 को खसरा नम्बर 314 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा में हिस्से 1/6 का दान न किया जाकर 1/3 हिस्से का किया जबकि दान पत्र में हिस्सा काटकर 1/3 के स्थान पर 1/6 कर दिया गया है इस कारण वह दान–पत्र दिनांक 20.11.2018 को खोला गया इन्तकाल संख्या 568 निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में मुख्य प्रश्न यह आता है कि क्या रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 20.10.2018 को सक्षम न्यायालय से अकृत व शून्य घोषित कराये ही अपीलान्ट इस अपील के माध्यम से चाहे गये अनुतोष को प्राप्त कर सकता है इस सन्दर्भ में दान पत्र दिनांक 20.10.2018 का अवलोकन करने से स्पष्ज है कि वह एक रजिस्टर्ड दान पत्र है जो कि उपपंजीयक महोदय छबडा के कार्यालय में विधिनुसार अटेस्टेट व एक्जुक्जुट हुआ है जिसे दानकर्ता रामकिशन आत्मज श्री प्रभु जाति मीना निवासी ग्राम बडोदिया तहसील छबडा जिला बारां (राज) द्वारा अपनी मन मर्जी व राजी खुशी से उप पंजीयक कार्यालय छबडा में उपस्थित होकर रूबरू गवाहान निष्पादित कराया है जिसमें एक गवाह स्वंय अपीलान्ट भी है और दानकर्ता अपीलान्ट के पिताजी है इस प्रकार विधि अनुसार निष्पादित उपरोक्त दान–पत्र पर किसी प्रकार के शक व संदेह की गुन्जाईश नही है। परन्तु इसके बावजुद भी अपीलान्ट उपरोक्त दान–पत्र पर किसी प्रकार का शक व संदेह जाहिर करना चाहता है तो उसके लिये उपरोक्त दान–पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में जाकर वाद प्रस्तुत करना पडेगा तथा अपीलान्ट द्वारा अपील में जो अनुतोष प्राप्त करना चाहा है वह बिना उपरोक्त दान–पत्र के निरस्त कराये बिना सम्भाप नही है। तथा सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में उपरोक्त दान–पत्र की वैधानिकता को चुनौती दिया जाना अधिकारातीत होने के कारण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील कानूनन पोषनीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मद संख्या 4 में यह तथ्य वर्णित किया है कि दान पत्र में मेज नम्बर 2 की पंक्ति संख्या 11 में हिस्सा 1/3 के स्थान पर काटकर 1/6 दर्ज किया जिसका नोट भी दान पत्र में नही डाला है। अपीलान्ट द्वारा वर्णित उपरोक्त तथ्य सर्वथा मिथ्या है क्योकि उपरोक्त दान पत्र के पेज संख्या 5 में यह नोट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अंकित किया हुआ है कि नोट पेज संख्या 2 की लाईन संख्या 11 में अंकित 1/6 हिस्सा सही है। अपीलान्ट द्वारा द्वारा बिना किसीआधार एवं मिथ्या तथ्यों पर उपरोक्त दान–पत्र की वैधानिकता को चुनौति दी है जो कानूनन पोषणीय नही होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। तथा उपरोक्त रजिस्टर्ड दान–पत्र की रूह से जो इन्तकाल 568 तस्दीक हुआ है वह पूर्णतया वैधानिक है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में चाहा गया अनुतोष उपरोक्त रजिस्टर्ड दान–पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना सम्भव नही होने अपील मिथ्यों तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय निरस्त की जावें। एवं हर्जा खर्जा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 को अपीलान्ट से दिलवाया जाये

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल नामान्तरण सं0 568 ग्राम देहरी तहसील छबडा के अनुसार मुताबिक रजिस्टर्ड दान पत्र के अनुसार दर्ज होना पाया जाता है फोटो प्रति रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 20.10.2018 के अनुसार रामकिशन पुत्र प्रभु जाति मीना निवासी ग्राम बडोदिया तहसील छबडा ग्राम देहरी के खसरा नम्बर 313 रकबा 5.07 बीघा मे से हिस्सा 1/3 को तथा खसरा नम्बर 314 रकबा 4.19 बीघा में मुझ मुकीर के हिस्से 1/2 मे से 2/12 हिस्से को मेरे पोत्रगण रामबाबू , दीपक पुत्रगण सत्यनारायण जाति मीना निवासी बडोदिया तहसील छबडा को बाट बराबर से दान किया गया तथा खसरा नम्बर 314 रकबा 4.19 बीघा में मुकीर के हिस्से 1/2 मे से 1/6 हिस्सा को मेरे सगे पुत्र मिश्रीलाल जाति मीना निवासी बडोदिया को तथा खसरा नम्बर 314 रकबा 4.19 बीघा में शेष चुकते हिस्से 1/6 को मेरे सगे पुत्र पप्पु पुत्र रामकिशन जाति मीना के पक्ष में दान किया जाना पाया जाता है अपीलान्ट का कथन है कि दान पत्र के पेंज नम्बर 2 में नीचे से उपर की तरफ की तीसरी लाईन में हिस्से 1/3 को काटकर 1/6 कर दिया गया है जबकि दान पत्र 1/3 हिस्से का किया गया था। दान पत्र के पेज नम्बर 5 के अन्त में पेन से नोट अंकित है कि पेज सं0 2 की लाईन नम्बर 11 में अंकित हिस्सा सही है। इससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट को 1/6 हिस्से का दान किया गया था 1/3 हिस्से का नही किसा गया। अपीलान्ट द्वारा की गई अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:17:16 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)

उपखण्ड अधिकारी, छबडा